उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0 : 0522–2337453
सीयूजी : 9454401190
Email :sec1@uppac.net

पत्रांक : पीएसी–1–205–2019
दिनांक: फरवरी 20 , 2019

सेवा में,

पुलिस उपमहानिरीक्षक,
पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

विषय: सीधी भर्ती–2011 के अर्न्तगत प्लाटून कमाण्डर पीएसी हेतु चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में भेजने के सम्बन्ध में।

ज्ञातव्य है कि प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर सीधी भर्ती–2011 के अर्न्तगत चयनित 38 अभ्यर्थियों का प्लाटून कमाण्डर का अधारभूत प्रशिक्षण दिनांक 25.02.2019 से सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में प्रारम्भ हो रहा है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को दिनांक 24.02.2019 के सायंकाल तक प्रशिक्षण संस्थान में आगमन कराने हेतु बुलावा पत्र भेज दिया गया है।

2. निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त 38 अभ्यर्थियों की सूची, बुलावा पत्र का नमूना व उसके साथ संलग्न परिशिष्ट–''क'' तथा प्रारूप 1, 2 व 3 में अपेक्षित शपथ पत्र का प्रारूप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर पीएसी टैब के अर्न्तगत सर्कुलर फोल्डर में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: 38 अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य प्रारूप

20/2/19

(रईस अख्तर)
अपर पुलिस अधीक्षक,
निमित्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

1–अभ्यर्थी का नाम– अमित सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह, अनुक्रमांक–463100087
निवासी– ग्राम बनहारी पों0–बीरापुर थाना फतनपुर,जनपद– प्रतापगढ़ .पिन कोड–230302
मो0 नं0 8985983021

2– अभ्यर्थी का नाम– आनन्द कुमार पुत्र श्री कमल सिंह यादव, अनुक्रमांक–423140104
निवासी– म0नं0 216 गली नं0–5 शहीद भगत सिंह कालोनी करावनल नगर, जनपद– दिल्ली .पिन कोड–110090 उत्तरी पूर्वी
मो0 नं0 9319306861

3–अभ्यर्थी का नाम– अरविन्द कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह, अनुकमांक–439210315
निवासी– ग्राम व पोस्ट बाडागॉव तहसील खुर्जा थाना अरनिया,जनपद– बुलन्दशहर .पिन कोड–203131
मो0 नं0 9536544586

4–अभ्यर्थी का नाम– ध्रुवकान्त सिंह सेंगर पुत्र श्री राजेश्वर सिंह, अनुकमांक–47150718
निवासी– ग्राम जांम पोस्ट जाम थाना रसड़ा,जनपद– बलिया .पिन कोड–221712
मो0 नं0 9027473827 / 9752449664

5–अभ्यर्थी का नाम– दिलीप सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह,अनुक्रमांक–441160063
निवासी– ग्राम ऐलाई पों0–रामगढ़ थाना पन्नूगंज,जनपद– सोनभद्र .पिन कोड–231213
मो0 नं0 –

6–अभ्यर्थी का नाम– दिनेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री छोटे लाल पाण्डेय,अनुक्रमांक–480071590
निवासी– श्रीराम पुरम कालोनी देवकाली बाईपास थाना कोतवाली अयोध्या,जनपद– अयोध्या .पिन कोड–224001
मो0 नं0 9455883252

7–अभ्यर्थी का नाम– कपिल कुमार पुत्र श्री मदनपाल सिंह, अनुक्रमांक–477220004
निवासी– म0नं0 59 मो0 हकीमान, कस्बा थानाभवन थाना–थानाभवन,जनपद– शामली .पिन कोड–247777
मो0 नं0 9528282313

8–अभ्यर्थी का नाम– कुँवर प्रताप मिश्रा पुत्र श्री मुरलीधर मिश्रा, अनुक्रमांक–414140090
निवासी– ग्राम पूरे वासी हरनार पो0 जलेशरगंज थाना लालगंज अझारा,जनपद– प्रतापगढ़ .पिन कोड–230132
मो0 नं0 9794526645

9–अभ्यर्थी का नाम– श्रीश कुमार मिश्रा पुत्र श्री राज कुमार मिश्रा, अनुकमांक–4170304506
निवासी– मो0 कसभरा निकट डाक बंगला नलकूप संख्या 1 थाना पुवायाँ,जनपद– शाहजहॉपुर पिन–242401
मो0 नं0 8923952503

10–अभ्यर्थी का नाम– विजयवीर सिंह पुत्र श्री वीरपाल सिह,अनुक्रमांक–424210214
निवासी– ग्राम व पोस्ट अल्लीपुर बुजुर्ग थाना बनियाठेर, जनपद– सम्भल .पिन कोड–202414
मो0 नं0 7895964818

11–अभ्यर्थी का नाम– विकास कुमार मिश्रा पुत्र श्री रमेश बाबू मिश्रा,अनुक्रमांक–463110022
निवासी– ग्राम गम्भीरपुर पो0 व थाना–रानीगंज, जनपद– प्रतापगढ़ .पिन कोड–230304
मो0 नं0 8181033462

12–अभ्यर्थी का नाम– विपिन कुमार सिंह पुत्र श्री राकेश बहादुर सिंह,अनुकमांक–414110085
निवासी– ग्राम खानीपुर पो0 उदयपुर थाना लालगंज अझारा,जनपद– प्रतापगढ़ .पिन कोड–230125
मो0 नं0 7651828203

13–अभ्यर्थी का नाम– अमित तोमर पुत्र श्री कुँवरपाल सिंह,अनुक्रमांक–477090234
निवासी– ग्राम पट्टी रामपुर रेलवे रोड थाना खेकड़ा,जनपद– बागपत .पिन कोड–250101
मो0 नं0 9027954138

14–अभ्यर्थी का नाम– अनुज कुमार पुत्र श्री हरवीर सिंह,अनुक्रमांक–477020208
निवासी– ग्राम व पोस्ट इब्राहिमपुर माजारा थाना रमाला, जनपद– बागपत .पिन कोड–250623
मो0 नं0 7903030619

15–अभ्यर्थी का नाम– धीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजवीर सिंह,अनुक्रमांक–439180053
निवासी– ग्राम खुशलपुर पोस्ट खाद थाना स्याना,जनपद– बुलन्दशहर पिन कोड–245412
मो0 नं0 9368633086

16–अभ्यर्थी का नाम– गम्भीर सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह,अनुकमांक–449190280
निवासी– ग्राम भरतपुर पो0 करियामई थाना उघैंती,जनपद– बदायूँ .पिन कोड–202524
मो0 नं0 9463745129 / 7009940725

17–अभ्यर्थी का नाम– जितेन्द्र वर्मा पुत्र श्री राम सुन्दर, अनुकमांक–421010108
निवासी– ग्राम सेंवई पो0 खूखूतारा थाना इब्राहिमपुर,जनपद– अम्बेडकरनगर .पिन कोड–224145
मो0 नं0 9129877097

18–अभ्यर्थी का नाम– नन्द जी यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव,अनुक्रमांक–476010433
निवासी– ग्राम बलिया दक्षिण पो0 भागलपुर थाना मईल,जनपद– देवरिया .पिन कोड–274602
मो0 नं0 9027954138

19–अभ्यर्थी का नाम– रवीन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री रामकेवल यादव,अनुक्रमांक–421050504
निवासी– ग्राम अटंकी(मोथियहवा) पो0 नौगवां थाना बेवाना,जनपद– अम्बेडकरनगर पिन कोड–224235
मो0 नं0 90279541389454269167

20–अभ्यर्थी का नाम– रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सत्यपाल सिंह,अनुक्रमांक–477210820
निवासी– ग्राम व पो0 भभीसा थाना कांधला,जनपद– शामली पिन कोड–247775
मो0 नं0 8923218219

21–अभ्यर्थी का नाम– संदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री रामभवन वर्मा, अनुक्रमांक–414010421
निवासी–ग्राम पसियापारा पो0 कटरिया याकूबपुर थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकरनगर पिन कोड–224122
मो0 नं0 8574307460

22–अभ्यर्थी का नाम– संजय कुमार यादव पुत्र श्री लल्लन यादव,अनुक्रमांक–476040427
निवासी– ग्राम बिरनी पो0 अजना थाना लार,जनपद– देवरिया पिन कोड–274508
मो0 नं0 9794225697

23–अभ्यर्थी का नाम– शशिकान्त सिंह कुशवाहा पुत्र श्री प्रभुंनारायन सिंह कुशवाहा,अनुक्रमांक–414080006
निवासी– ग्राम व पो0 भदौरा थाना गहमर,जनपद– गाजीपुर पिन कोड–232333
मो0 नं0 –8115758567 / 9451738610

24–अभ्यर्थी का नाम– उपेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामपति सिंह यादव,अनुक्रमांक–414060294
निवासी– ग्राम गन्धपा पो0 बगेन्द थाना करीमुद्दीनपुर,जनपद– गाजीपुर पिन कोड–233301
मो0 नं0 6392816412

25–अभ्यर्थी का नाम– विकास चन्द्र पुत्र श्री हाकिम सिंह,अनुक्रमांक–472090721
निवासी– ग्राम बलारपुर पो0 नगला गुलाल थाना नसीरपुर,जनपद– फिरोजाबाद पिन कोड–205142
मो0 नं0 9411986924

26–अभ्यर्थी का नाम– अनिल कुमार पुत्र श्री छेदी लाल,अनुक्रमांक–441040225
निवासी– ग्राम व पो0 कोइलारी थाना चन्दवक, जनपद– जौनपुर पिन कोड–222148
मो0 नं0 9918292767

27–अभ्यर्थी का नाम– राकेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर लाल,अनुक्रमांक–441010206
निवासी– ग्राम बेलहा पो0 धरवासीपुर थाना खखरेरू,जनपद–फतेहपुरपिन कोड–212656
मो0 नं0 7398004583

28–अभ्यर्थी का नाम– विनोद कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र,अनुक्रमांक–437170083
निवासी– ग्राम पटनिया पो0 किशनी थाना वीसलपुर,जनपद– पीलीभीत पिन कोड–262201
मो0 नं0 9457431758 / 7248824303

29–अभ्यर्थी का नाम– लाल विराट भारद्वाज पुत्र श्री सुभाष चन्द, अनुक्रमांक–439240434
निवासी– ग्राम वीरखेडा पो0 चन्देरू थाना सिकन्द्राबाद,जनपद– बुलन्दशहर पिन कोड–203001
मो0 नं0 9457071118

30–अभ्यर्थी का नाम– नरेन्द्रपाल पुत्र श्री शशिपाल सिंह,अनुक्रमांक–462290017
निवासी– प्लाट नं0–18ए वृन्दावन विहार कालोनी नया आदिलनगर कल्याणपुर थाना गुडम्बा, जनपद– लखनऊ पिन कोड–226022
मो0 नं0 7505673454

31–अभ्यर्थी का नाम– ओम प्रकाश पाण्डेय पुत्र श्री आर0एस0 पाण्डेय,अनुक्रमांक–480100979
निवासी– ग्राम जगतपुर पो0 पुरूषोत्तमपुर थाना जयसिंहपुर,जनपद–सुल्तानपुर पिन कोड–228141
मो0 नं0 8586870599

32–अभ्यर्थी का नाम– पंकज सिंह पुत्र श्री दयाशंकर सिंह,अनुक्रमांक–462280014
निवासी– ग्राम फत्तेपुर दक्षिण पो0 सेन पश्चिम पारा थाना बर्रा,जनपद– कानपुर नगर पिन कोड–208001
मो0 नं0 9919061406

33–अभ्यर्थी का नाम– प्रभाष सिंह पुत्र श्री यशवन्त सिंह,अनुक्रमांक–459090003
निवासी– ग्राम हरपुर पो0 पीपीगंज थाना पीपीगंज,जनपद– गोरखपुर पिन कोड–273165
मो0 नं0 9450791675

34–अभ्यर्थी का नाम– संजय सिंह पुत्र श्री भारतपाल सिंह,अनुक्रमांक–439210239
निवासी– ग्राम कपना पो0 झाझर थाना जहाँगीराबाद,जनपद– बुलन्दशहर पिन कोड–203203
मो0 नं0 9457376453

35–अभ्यर्थी का नाम– संजीत कुमार सिंह पुत्र श्री दिनेश सिंह,अनुक्रमांक–423180350
निवासी– ग्राम छौरहिया पो0 छौरहिया थाना सहियारा, जनपद– सीतामढ़ी बिहार पिन कोड–843332
मो0 नं0 8299428156

36–अभ्यर्थी का नाम– सरफराज सिद्दीकी पुत्र श्री जफर अहमद,अनुक्रमांक–414090041
निवासी– ग्राम बीरभान (मलिकनगॉव) पो0 बहरियाबाद थाना बहरियाबाद,जनपद– गाजीपुर पिन कोड–275208
मो0 नं0 9919408756

37–अभ्यर्थी का नाम– शावक कुमार सिंह पुत्र श्री शिव बहादुर सिंह,अनुक्रमांक–463110047
निवासी– ग्राम व पोस्ट रामनगर भोजपुर थाना अन्तू, जनपद– प्रतापगढ़ पिन कोड–230503
मो0 नं0 9984245041

38–अभ्यर्थी का नाम– शीतेन्द्र कुमार दुबे पुत्र श्री रमाकान्त दूबे, अनुक्रमांक–441110124
निवासी– ग्राम देवापुर पो0 प्रेमकापुरा थाना सुजानगंज,जनपद– जौनपुर पिन कोड–222201
मो0 नं0 9560604767

द्वारा रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल/फैक्स

उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0 : 0522–2337453
सीयूजी : 9454401190
Email :sec1@uppac.net

पत्रांकः पीएसी–1–205–2019
दिनांकः फरवरी , 2019

सेवा में,

अभ्यर्थी का नाम– .... पुत्र श्री ....
अनुक्रमांक–.................................
निवासी– ग्राम .... पो0 .... थाना ....
जनपद– ....पिन कोड–..........................
मो0 नं0 ....

विषयः उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पीएसी सीधी भर्ती–2011 के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्याः 12538 (सी)/2016 आलोक कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय के आलोक में व्हाइटनर/ब्लेड से सम्बन्धित **प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती हेतु उपयुक्त** पाये गये अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु आवंटित प्रशिक्षण संस्थान, **सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर** भेजे जाने के सम्बन्ध में।

—

कृपया अवगत कराना है कि उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्याः पॉच–।।।(उ0नि0ना0पु0सी0भ0–2011)2015 दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी पत्रावलियों एवं निर्देशों के आधार पर चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा एवं चरित्र सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप आपको प्लाटून कमाण्डर पीएसी के बेसिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा **सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर आवंटित किया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 24.02.2019 के सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।**

2– आप अपने साथ प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/अनुमति के उपस्थित नहीं होते है तो आपका चयन/अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप–01, 02 एवं 03 में क्रमशः रूपये 32/– 42/– एवं 32/– के नानजुडिशियल स्टैम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ–पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्ति प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये निर्देशों (परिशिष्ट–"क") के अनुसार कार्यवाही करें। प्रारूप संख्या–01, 02 व 03 एवं प्रशिक्षण निदेशालय जारी निर्देश, बेवसाइट uppolice.gov.in में पीएसी टैब के अन्दर सरकुलर पर भी उपलब्ध है।

3– प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण रूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेगें। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4– उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रकिया के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

अपर पुलिस अधीक्षक,
पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

प्रतिलिपिः वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, ... को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करने एवं इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराते हुये दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनॉक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिः संस्था प्रमुख, ए0पी0टी0सी0 सीतापुर को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्नकर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अनुरोध है कि कृपया पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये तथा चिकित्सा परीक्षण रिपार्ट, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रमाण–पत्रों को चेक करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार के कोई भिन्नता/प्रतिकूलता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्था मे न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पीएसी मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक– मूल पत्रावली (ओएमआर आवेदन–पत्र, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ एवं चरित्र सत्यापन आख्यायें मूलरूप में क्रमांक से तक)

(1)

परिशिष्ट "क"

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्याः प्रनि–प–82–2014(एसआई सीधीभर्ती) दिनाँ
18–10–2015 के माध्यम से प्राप्त निर्देश।

(1) प्रशिक्षण केन्द्र में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ/शराब का सेवन वर्जित होगा।

(2) पान व पान मसाला व गुटखा खाकर क्लास रूम में नहीं जायेगें तथा हास्टल की दीवारों को ग नहीं करेगें। अनुशासित ढंग से रहेगें। अनुशासनहीनता का कोई भी प्रकरण सामने आने पर कर्मी को तत्काल प्रशिक्षण केन्द्र से वापस कर दिया जायेगा।

(3) परेड ग्राउण्ड व क्लास रूप में मोबाइल लेकर नहीं जायेंगे। अपना मोबाइल हास्टल में रखेंगे।

(4) प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।

(5) प्रशिक्षण में जाते समय मौसम के अनुसार कपड़े, बिस्तर एवं मच्छरदानी आदि लेकर अवश्य जायें।

(6) प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित वर्दी तथा प्रशिक्षण सामग्री क्रय हेतु पर्याप्त मात्र में धनरा तथा मेस एण्डवान्स के लिये पर्याप्त धनराशि लेकर जायेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में खेल, साज–सज्जा तथा अन्य व्ययों तथा वृत्ति(स्टाईपेण्ड) को प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में विद्यार्थी (कैडेट) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।

प्रतिभू चूँकि मैं...आत्मज..का नाम जिला..का निवासी हूँ और चूँकि पुलिस सेवा के हेतु अध्ययन के प्रयोजनार्थ ए0पी0टी0सी0 ....में विद्यार्थी भर्ती होने के लिय उत्तर प्रदेश शासन में श्री... ......आत्मज.. निवासी...को चुना है और उसने सरकार की सेवा को वरण किया है।

अतएव यह बन्ध पत्र दिनॉक.................................जो उक्त...के निमित्त प्रतिभू.......... ....प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ है। इस बात का साक्षी है कि उक्त............के उक्त कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त............................. ....इस बन्ध के दिनांक से उक्त कालेज में परिश्रम पूर्वक अध्ययन करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 या उक्त कालेज के प्रधानाचार्य उसे अपनी शिक्षा छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें, और वह उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा। उक्त... का उक्त अवस्था कि उक्त............ ....विद्यार्थी(कैडेट)।

1–उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करें।
2–प्रशिक्षण से त्याग पत्र दें।
3–दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त परीक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4–उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें अथवा इन नियमों के आधीन उक्त कालेज से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
5–प्रशिक्षण के पश्चात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
6–साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र देदें।
7–उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्व वृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या प्रथक किये जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचन बद्ध है:–

1–वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जावें।
2–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जाय।
3–वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो।
4–और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा माल गुंजारी की भाँति वसूल होगा।

साक्षी

1– .... हस्ताक्षर.......................................

2– .... दिनॉक...

स्थान...

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिये अन्य पत्र

मै ....आत्मज..को...जिला.................................का निवासी हूँ।........................स्थिति ए0पी0टी0सी0 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष..................में चुना गया हूँ। (जिसे आगे कैडेट कहा गया है)

उक्त कैडेट राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समर उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा समय-समय पर जो भी साज-सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दे और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथासमय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये औ किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किश्तों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्द्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करें।

उक्त कैडेट को त्याग पत्र देने, अध्ययन बन्द कर देने या पदच्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्त्रों और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त प्रधानाचार्य ने उसे कालेज में प्रवेश करने के समय दिये हों अथवा जो बाद में कालेज स्टोर से मिलें हों अपने पास रखें या वह उन्हे ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त प्रधानाचार्य निश्चित करें, प्रधानाचार्य के हाथ बेच सकता है।

उक्त कैडेट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वहः-

1-उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करे।
2-प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
3-दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
4-प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 अथवा उक्त कालेज के प्रधानाचार्य की बिना पूर्व अनुमति के उक्त कालेज छोड़कर चला जाय या शिक्षा बन्द कर दे।
5-उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों को पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त कालेज से बहिस्कृत अथवा पृथक किया जाय।
6-प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दे दें।
7-साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
8-उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किया जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये वचनबद्ध है:-

1--वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।
2--वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जावे।
3--वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की भॉति वसूल होगा।

साक्षी

1- .... हस्ताक्षर..

2- .... दिनॉक..

स्थान..

शपथ पत्र का प्रारूप

नाम.....................................उम्र लगभग......................वर्ष पुत्र श्री.............................. निवासी ग्राम/मुहल्ला/मकान सं0..डाकघर........................विकास खण्ड................ ....थाना...................तहसील.............................जिला...............................(पिन कोड...............) का शपथ पत्र।

मैं ....उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक बयान करता हूँ किः–

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु जिला................... से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुक्रमांक.............................. है। मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नही हुआ है और न ही वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा/मामला प्रचलित/लम्बित है और नही कोई पुलिस विवेचना (Investigation) लम्बित/प्रचलित है।

यदि भविष्य में उपरोक्त उल्लिखित तथ्य कभी भी गलत पाये जाये तो मुझे प्लाटून कमाण्डर पीएसी के प्रशिक्षण/सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाय।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

शपथकर्ता

मैं................................ उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं तथा जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वह भी सत्य है इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नही है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करें।

अभिसाक्षी

आज दिनाक..........................को ....पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्रांगण में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी/शपथकर्ता